

राजस्थान सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांक राम/प-2(13)रातस/बैच-33/2026/10107

दिनांक: 15.10.2024

-: आदेश :-

निम्नांकित अभ्यर्थियों द्वारा कार्यग्रहण अवधि में विस्तार लिए जाने के कारण प्रशिक्षण कार्यक्रम में सम्मिलित होने से वंचित रह गये थे। अतः निम्नांकित कार्मिकों का शेष प्रशिक्षण कार्यक्रम नवचयनित नायब तहसीलदारों के समूह-ए के साथ किया जा रहा है जो कि निम्नानुसार है :-

क्र.स.	नाम अभ्यर्थी	वर्तमान पदस्थापन स्थान	विशेष विवरण
1	सुश्री साक्षी जैन	नायब तहसीलदार जयपुर विकास प्राधिकरण जिला जयपुर	सम्पूर्ण प्रशिक्षण
2	श्रीमती कामिनी प्रजापति	नायब तहसीलदार सिरौही, जिला सिरौही	सम्पूर्ण प्रशिक्षण
3	श्रीमती रीना चौहान	उपखण्ड कार्यालय दौसा, जिला दौसा	सम्पूर्ण प्रशिक्षण
4	श्री ओमप्रकाश	नायब तहसीलदार सीकर (ग्रामीण) जिला सीकर	आधारभूत प्रशिक्षण, भू-प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं संस्थागत प्रशिक्षण
5	श्री भगसिंह	नायब तहसीलदार सांकड़ा, जिला जैसलमेर	भू-प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं संस्थागत प्रशिक्षण
6	श्री लोकेश कुमार मीना	नायब तहसीलदार गुढाचंद्र जिला करौली	आधारभूत प्रशिक्षण

प्रशिक्षण कार्यक्रम

क्र.सं.	प्रशिक्षण का नाम	अवधि
1	आधारभूत प्रशिक्षण	38 दिन (12 अक्टूबर से 18 नवम्बर 2026)
2	संस्थागत प्रशिक्षण 1-Segregation of Data (अवधि 4 दिवस) 2-Cadastral Mapping (अवधि 2 दिवस) 3-Modern Record Room (अवधि 2 दिवस)	38 दिन (19 नवम्बर से 26 दिसम्बर 2026)
3	कृषि प्रशिक्षण	14 दिन (27 दिसम्बर 2026 से 9 जनवरी 2027)
4	भू-प्रबन्ध प्रशिक्षण (भू-प्रबन्ध विभाग में)	40 दिवस (10 जनवरी 2027 से 18 फरवरी 2027)
5	व्यावहारिक प्रशिक्षण (प्रेक्टिकल ट्रेनिंग तहसीलों में)	50 दिन (19 फरवरी 2027 से 9 अप्रैल 2027)
6	परीक्षा की तैयारी एवं परीक्षा	7 दिन (10 अप्रैल 2027 से 16 अप्रैल 2027)

आदेशानुसार,

उप निबन्धक (रातस)
राजस्व मण्डल राज.,अजमेर



क्रमांक: सम/ 10/08-20

दिनांक: 15/10/2026

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय राजस्व मंत्री महोदय, शासन सचिवालय राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर ।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग राजस्थान, जयपुर ।
4. आयुक्त, भू-प्रबंध विभाग राजस्थान, जयपुर।
5. संबंधित जिला कलक्टर को प्रेषित कर निवेदन हैं कि प्रशिक्षण हेतु कार्मिक को कार्यमुक्त करने का श्रम करावें।
6. निदेशक, आर.आर.टी.आई., अजमेर को प्रेषित कर निवेदन हैं कि प्रशिक्षण उपरांत उक्त कार्मिकों को उनके पदस्थापन स्थान हेतु कार्यमुक्त करें।
7. संबंधित अभ्यर्थी।
8. निजी पत्रावली/ आदेश पंजिका ।

उप निबन्धक (रातस)
राजस्व मण्डल राज., अजमेर

